रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 865] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 7, 2004/आश्विन 15, 1926

No. 865] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 7, 2004/ASVINA 15, 1926

विदेश मंत्रालय

(हज प्रकोष्ठ)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 2004

का.आ. 1093(अ).—केन्द सरकार, हज समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 35) के खण्ड 3, 4 और 5 में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम के खण्ड 4(ii) के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति से प्राप्त नामांकन के आधार पर, एतद्द्वारा श्री हाफिज नौशाद अहमद आज़मी, सुपुत्र स्व. मोईनुद्दीन, निवासी नगरी पार, पोस्ट बांदी कलां, जिला मऊ, उत्तर प्रदेश को भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से भारतीय हज समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[सं. एम (हज)-1181/3/2003]

आर. दयाकर, संयुक्त सचिव (खाड़ी/हज)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(Haj Cell)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 2004

S.O. 1093(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 3, 4 and 5 of the Haj Committee Act, 2002 (35 of 2002), the Central Government, on the basis of nomination received from U.P. State Haj Committee, in terms of Section 4 (ii) of the Act, hereby appoints Shri Hafiz Naushad Ahmad Azmi, son of Late Moinuddin, R/o Nagri Par, Post Bandi Kalan, District Mau, U.P. as member of the Haj Committee of India with effect from the date of publication of this notification in the Gazette of India.

[No. M (Haj)-1181/3/2003]

R. DAYAKAR, Jt. Secy. (Gulf/Haj)

3012 GI/2004

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.